मध्यप्रदेश शासन

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग)

क्रमांक/11265/वित्त एवं लेखा/MGNREGS-MP/NR-4/11 भोपाल,दिनांक 29/11/11

मनरेगा धनराशि निर्गमन
आदेश क्रमांक–3

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
   जिलाः–समस्त (म.प्र.)

विषयः– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)–म.प्र. अन्तर्गत जिलों को प्राप्त आवंटन के वितरण के संबंध में।

संदर्भः1 म.प्र. शासन का पत्र क्र. 78/वित्त–लेखा/ एमजीएनआरईजीएस–एमपी/10 भोपाल दिनांक 03.01.2011 (मनरेगा धनराशि निर्गमन आदेश क्रमांक–1)

2. म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् का आदेश क्र.791/एमजीएनआरईजीएस–एमपी /वित्त–लेखा/2011 भोपाल दिनांक 25.1.2011

3. म.प्र. शासन का पत्र क्र. 3443/ वित्त–लेखा/एमजीएनआरईजीएस–एमपी/2011 भोपाल दिनांक 29.3.2011 (मनरेगा धनराशि निर्गमन आदेश क्रमांक–2)

––0––

विषयान्तर्गत मनरेगा अन्तर्गत उपरोक्त संदर्भित पत्रों के द्वारा धनराशि निर्गमन की व्यवस्था दी गई है। संदर्भित पत्र क्रमांक 1 की कंडिका 2.5.1 के अन्तर्गत जनपद पंचायत की अनुशंसा के आधार पर ग्राम पंचायतों को सिर्फ जिला कार्यक्रम समन्वयक के द्वारा ही 03 दिवस के अन्दर ही किश्त जारी करने के निर्देश दिये गये थे। ग्राम पंचायतों से प्राप्त मांग पत्रों को जनपद पंचायत (कार्यक्रम अधिकारी) स्तर पर परीक्षण कर जिला कार्यक्रम समन्वयक कार्यालय में पहुचाने की समय–सीमा निर्धारित नहीं थी।

अतः इस परिपेक्ष्य में निर्देशित किया जाता है कि ग्राम पंचायत से जनपद पंचायत (कार्यक्रम अधिकारी) को प्राप्त होने वाले राशि के मांग पत्र, कार्यक्रम अधिकारी को प्राप्त होने के पश्चात् प्राप्ति तिथि से नियमानुसार परीक्षण के उपरान्त 4 कार्य दिवस की समय–सीमा में अनिवार्यतः जिला कार्यक्रम समन्वयक के कार्यालय में पहुंचाये जाये। इस कार्य हेतु कार्यक्रम अधिकारी उत्तरदायी होगे।

(अरूणा शर्मा)
प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एंव ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्रमांक/ 11266 /वित्त एवं लेखा/MGNREGS-MP/NR भोपाल,दिनांक 29/11/11

प्रतिलिपि–

1. समस्त संभाग आयुक्त म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. आयुक्त म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत समस्त की ओर सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

29/11/11

प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एंव ग्रामीण विकास विभाग